POLICE COMMISSIONERATE

GAUTAM BUDH NAGAR

सराहनीय कार्य /प्रेस विज्ञप्ति - दिनाकं 08.02.2025

1. थाना सेक्टर-63 व साइबर टीम सेन्ट्रल नोएडा द्वारा संयुक्त रूप से कार्यवाही करते हुए कम्पनी बनाकर सोशल मीडिया पर प्रचार-प्रसार करके लोन दिलाने के नाम पर लोगो के साथ लाखों रूपये की धोखाधड़ी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 03 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 04 लैपटॉप, 14 मोबाइल फोन (भिन्न-भिन्न कम्पनी के), 01 प्रिन्टर, 18 चैकबुक, 05 चैक, 50 विजिटिंग कार्ड व 09 मोहरे बरामद।

घटना का संक्षिप्त विवरण-- थाना सेक्टर-63, नोएडा की साइबर हेल्प डेस्क पर पिछले कुछ समय से सूचना प्राप्त हो रही थी कि थाना क्षेत्रान्तर्गत एच-169 एच ब्लाक सेक्टर-63, नोएडा में कुछ व्यक्ति मनी ऑन नवाकर नाम से कम्पनी बनाकर लोगो को लोन दिलाने के नाम पर पैसे लेकर उनके साथ धोखाधडी कर रहे है। इस सम्बन्ध में शिकायतकर्ता द्वारा भी प्रार्थना पत्र दिया गया था। उक्त शिकायत एवं प्रार्थना पत्र के आधार पर एच-169, एच ब्लॉक में मनी ऑन नवाकर नाम की कम्पनी पर जाकर जांच की गयी तो वहां मौजूद कम्पनी के डायरेक्टर अरिहंत व उसके साथियो द्वारा बताया गया कि हम लोग सोशल मीडिया पर अपनी कम्पनी का प्रचार-प्रसार करके लोगो को लोन दिलाने के लिए प्रलोभित करते है तथा उनसे सर्विस चार्ज लेते है। इस प्रकार उक्त शिकायत सत्य पायी गयी।

पुलिस कार्यवाही का विवरण-- दिनांक **08.02.2025** को **थाना सेक्टर-63 व साइबर टीम सेन्ट्रल नोएडा** द्वारा उक्त सम्बन्ध में प्राप्त शिकायत के आधार पर जांच के क्रम में लोकल इंटेलीजेंस के आधार पर कार्यवाही करते हुए लोन दिलाने के नाम पर लोगो के साथ धोखाधड़ी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 03 अभियुक्त 1-अरिहन्त जैन पुत्र कन्हैय्या लाल जैन 2-धर्मेन्द्र पुत्र प्रेमपाल सिंह 3-आकाश पुत्र राजबहादुर सिंह को एच-169 एच ब्लॉक से **गिरफ्तार** किया गया है। अभियुक्तों के कब्जे से उक्त कार्य में प्रयोग किये जा रहे उपकरण 04 लैपटॉप, 14 मोबाइल फोन (भिन्न-भिन्न कम्पनी के), 01 प्रिन्टर, 18 चैकबुक, 05 चैक, 50 विजिटिंग कार्ड व 09 मोहरे बरामद किये गये है।

अभियुक्तों की गिरफ्तारी एवं उनसे बरामदगी के सम्बन्ध में थाना सेक्टर-63 नोएडा पर मु0अ0सं0 57/2024 धारा 318(4)/316(2) बीएनएस व 66 आईटी एक्ट पंजीकृत किया गया।

अपराध करने का तरीका-- अभियुक्तों द्वारा मनी ऑन नवाकर फाईनेंसियल सर्विसेज, मनी वन मैनेजमेन्ट सर्विसेज तथा नवाकर फाईनोविजन इण्डिया प्रा0लि0 के नाम से कम्पनी बना रखी थी तथा अभियुक्तों द्वारा अपनी कम्पनियों के माध्यम से करोड़ो रूपये तक का लोन दिलाने हेतु प्रचार-प्रसार मीडिया प्लेटफार्म पर किया जाता था। जब लोन लेने के इच्छुक लोग इनके पास कॉल करते थे तो यह लोग उनको लोन दिलाने का प्रलोभन देकर उनसे उनके दस्तावेज एवं लोन की नियत धनराशि का 3%+18% जीएसटी सर्विस चार्ज के नाम पर लेते थे तथा बाद में उनका सिविल खराब बताकर उनका लोन नही कराते थे। जब पीड़ित इनके पास कॉल करते थे तो यह लोग उनकी कॉल उठाना बंद कर देते थे। इन लोगो द्वारा अधिकतर दूर-दराज के लोगो को अपना शिकार बनाया जाता था ताकि कोई इनके ऑफिस आकर इनकी शिकायत न कर सके। अभियुक्तों द्वारा अभी तक करीब 100 लोगो को अपना शिकार बनाया जा चुका है।

पूछताछ का विवरण-- गिरफ्तार अभियुक्तों द्वारा पूछताछ के दौरान बताया गया कि शिकायतकर्ता/वादी को हमने ही कॉल करके लोन के लिए कहा था और उससे दस्तावेज मँगाये थे। बाद में लोन दिलाने के एवज में हमने उससे कुल 1,38,155 रूपये लिये थे और लोन का विश्वास दिलाने के लिए हमने उसको 9,98,000 रू0 का चेक ए0यू0 स्माल फाईनेंस बैंक खाते का व्हाटसएप किया था तथा बाद में हमने उसका लोन नही कराया था। इसके अलावा हम लोगो द्वारा अन्य लोगो से भी लोन दिलाने के एवज में पैसा हड़पा गया है। हम लोगो द्वारा इसी काम के लिए अन्य कम्पनी जैसे मनी ऑन नवाकर फाईनेंसियल सर्विसेज, मनी वन मैनेजमेन्ट सर्विसेज तथा नवाकर फाईनोविजन इण्डिया प्रा0लि0 बना रखी थी, जिनके एवज में हम लोगो से लोन दिलाने के नाम पर पैसा लेते थे और जब ग्राहको को लोन नही मिलता था तो उनके फोन हमारे पास आते थे और हम लोगे उनका फोन उठाना बन्द कर देते थे। अभियुक्तों के खातो को साइबर पोर्टल पर चेक किया गया तो ए0यू0 स्माल फाईनेंस बैंक के खाते पर तीन साइबर कम्पलेन गुजरात व मध्य प्रदेश से है तथा कोटक महिन्द्रा बैंक के खाते पर तीन साइबर कम्पलेन रजिस्टर्ड है। फिनकेयर स्माल फाईनेंस बैंक के खाते पर 02 साइबर कम्पलेन रजिस्टर्ड है। अभियुक्तों द्वारा ग्राहको से कम्पनी बनाकर अवैध रूप से लोन देने के नाम पर पैसा लिया जा रहा था।

अभियुक्तों का विवरण—

1- अरिहन्त जैन पुत्र कन्हैय्या लाल जैन निवासी मोहल्ला भूरा का बांस देशनोक थाना देशनोक जिला बीकानेर राजस्थान वर्तमान पता सांई रेजीडेंसी शाहबेरी थाना बिसरख, नोएडा उम्र 31 वर्ष (डायरेक्टर, शिक्षा कक्षा-10 फेल)

2- धर्मेन्द्र पुत्र प्रेमपाल सिंह निवासी बचगाँव थाना नारकी जिला फिरोजाबाद उ0प्र0 वर्तमान पता सांई रेजीडेंसी शाहबेरी थाना बिसरख, नोएडा उम्र 36 वर्ष (शिक्षा कक्षा-8 फेल)

3- आकाश पुत्र राजबहादुर सिंह निवासी मोहल्ला साठबीघा कालोनी थाना बीना राय गेट जिला कासगंज उ0प्र0 वर्तमान पता सांई रेजीडेंसी शाहबेरी थाना बिसरख, नोएडा उम्र 26 वर्ष (शिक्षा कक्षा-8 फेल)

पंजीकृत अभियोग का विवरण--

1. मु0अ0सं0 57/2025 धारा 318(4)/316(2) बीएनएस व 66 आईटी एक्ट थाना सेक्टर-63, नोएडा।

बरामदगी का विवरण--

1- 04 लैपटॉप
2- 14 मोबाइल फोन
3- 01 प्रिन्टर
4- 18 चैक बुक
5- 05 चैक
6- 50 विजिटिंग कार्ड
7- 09 मोहरे